औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भी लागू होगी प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन प्रस्ताव को दी मंजूरी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में भी लागू करने का फैसला किया है। सरकार ने इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है।

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना अभी तक औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में लागू नहीं थी। अब इसे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में लागू करने का फैसला हुआ है। सरकार प्राधिकरण क्षेत्र में घर की मांग का आकलन करेगी। इसके बाद पात्र आवेदकों को आवास उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। प्रत्येक आवासीय योजना में न्यूनतम 250 भवन होंगे। इसमें 35 प्रतिशत क्षेत्रफल पर दुर्बल आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के भवनों का निर्माण किया जाना है।

एनसीआर क्षेत्र के गरीब परिवारों की आवासीय समस्या का होगा समाधान

विकासकर्ता द्वारा प्रति ईडब्ल्यूएस आवास पर 22.77 वर्ग मीटर कॉरपेट एरिया के लिए 6 लाख तथा 22.77 वर्ग मीटर से 30 वर्ग मीटर के कॉरपेट एरिया के भवनों के लिए प्रो-रोटा क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम सीलिंग कास्ट रखने का प्रावधान किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत विकासकर्ता को 2.50 लाख रुपये अनुदान मिलेगा। इसमें 1.5 लाख केंद्र सरकार से केंद्रांश के रूप में जबकि 1 लाख रुपये राज्यांश के रूप में मिलेगा।

अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने कहा कि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में पीएम आवास योजना लागू होने से एनसीआर क्षेत्र के गरीब परिवारों की आवासीय समस्या दूर होगी।